राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5237/2018

सुनील कुमार नायक पुत्र श्री नारायण लाल नायक, निवासी मुकाम पोस्ट मुगाणा, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला प्रतापगढ़।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री कैलाश जांगिड़

प्रतिवादीगण के लिए : श्री संदीप सोनी
श्री ऋतु राज सिंह भाटी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

07/01/2025

1. याचिकाकर्ता यहां पुलिस महानिदेशक, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2018 (अनुलग्नक 7) का विरोध कर रहा है, जिसके तहत दिनांक 10.02.2016 के विज्ञापन के अनुसार कांस्टेबल चालक के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षेप में, याचिका में अभिवर्णित प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 दिनांक 10.02.2016 के एक विज्ञापन के माध्यम से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल चालक सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने

भी पात्र होने के कारण सामान्य वर्ग में जिला प्रतापगढ़ के लिए आवेदन किया था। उसने लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। इसके बाद, याचिकाकर्ता को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया। याचिकाकर्ता ने शारीरिक दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली।

2.2 अंतिम चयन सूची के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रतापगढ़ जिले में कांस्टेबल चालक के पद पर नियुक्ति के लिए सफल घोषित किया गया था। हालाँकि, चयनित होने के बावजूद, उसके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी गई, हालाँकि उसे साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2014, अर्थात विज्ञापन जारी होने से पहले, के आदेश द्वारा बरी कर दिया गया था। इस संबंध में, प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवादी संख्या 2 से निर्देश मांगे।

2.3 इसके बावजूद, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को दिनांक 02.04.2018 (अनुलग्नक 7) के एक कार्यालय आदेश द्वारा उनके अपने परिपत्र दिनांक 28.03.2017 (अनुलग्नक 8) पर विचार किए बिना ही खारिज कर दिया गया, जिसके अनुसार, संदेह का लाभ देकर या साक्ष्य के अभाव में बरी किए गए व्यक्ति नियुक्ति के पात्र हैं। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादीगण ने अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह रुख अपनाया है कि याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले का विवरण उजागर किया है। तदनुसार, विज्ञापन के पैरा 9 और परिपत्र संख्या 1300 दिनांक 28.03.2017 के अनुसार, मामले को विभाग की समिति द्वारा विचारार्थ मुख्यालय को भेज दिया गया था। आदेश दिनांक 02.04.2018 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है।

3.2 विचारण के पश्चात, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.09.2014 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को बरी तो कर दिया, परन्तु बाइज्जत नहीं। बल्कि, उसे साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया था। अतः, याचिका गुण-दोष से रहित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता और प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है। पक्षों की अपनी-अपनी दलीलों के आधार पर प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया गया है।

5. सार एवं तत्वतः, विचारण हेतु जो प्रश्न शेष रह जाता है, वह अत्यंत सीमित दायरे में निहित है, अर्थात्

(क) क्या याचिकाकर्ता को अपने प्रदर्शन का लाभ लेने का अधिकार नहीं है, भले ही वह आपराधिक कार्यवाही में बरी हो गया हो, जिसके कारण उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी?

(ख) क्या याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.02.2016 के विज्ञापन के अनुसार, प्रश्नगत पद के लिए आवेदन पत्र भरते समय कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जानकारी छिपाई थी?

6. प्रथमतः, द्वितीय प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए, अर्थात् क्या किसी प्रकार का तथ्य-गोपन हुआ है या नहीं;

6.1 याचिका में निहित विशिष्ट निर्विवाद कथन के मद्देनजर उक्त प्रश्न का उत्तर बहुत दूर नहीं है कि विज्ञापन 10.02.2016 को जारी किया गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ 01.06.2012 को आईपीसी की धारा 435, 323 और 34 के तहत कथित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। विचारणोपरांत, याचिकाकर्ता को 30.09.2014 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। स्पष्ट रूप से घटनाक्रम स्वयं खुलासा कर रहा है और दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन की तिथि तक किसी भी तरह की तथ्य-गोपन नहीं किया था। इसके अलावा, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से एफआईआर का विवरण सद्भाव में बताया। इस प्रकार, जानबूझकर गलत बयानी या धोखे का कोई सबूत नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर तदनुसार नकारात्मक है।

7. अब पहले प्रश्न पर आते हैं, अर्थात् क्या याचिकाकर्ता अपने प्रदर्शन का लाभ लेने के लिए अयोग्य है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे आपराधिक कार्यवाही में बरी कर दिया गया है जिसके कारण उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी;

7.1 इस प्रश्न का उत्तर भी अनिवार्य रूप से नकारात्मक ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि बरी होना तो बरी होना ही है, चाहे वह किसी भी आधार पर हो। इसके अलावा, न्याय-सम्य भी याचिकाकर्ता के पक्ष में है।

8. बहरहाल, याचिकाकर्ता को एक सक्षम न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह सुनने में भले ही सामान्य प्रतीत हो, लेकिन निर्दोषता की उपधारणा' के सिद्धांत के अनुसार, दोषमुक्ति याचिकाकर्ता की एक कानून का पालन करने वाले नागरिक की स्थिति को बहाल करती है। प्रतिवादीगण का यह कहना कि दोषमुक्ति 'ससम्मान' नहीं थी, मात्र काल्पनिक है। दोषमुक्ति तब तक वैध रहती है जब तक कि अपील में इसे खारिज न कर दिया जाए। राज्य द्वारा ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता को केवल एक एफआईआर/मुकदमे के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार करना, जिसमें वह दोषमुक्त हो चुका है, उसे दंडित करने के समान है।

9. इस संदर्भ में, **राजेंद्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य[1],** नामक मामले में कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में मेरे द्वारा दिनांक 13.05.2024 को दिए गए एक अन्य निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसके प्रासंगिक पैरा संख्या ***12*** से ***20*** हैं**,** जिन्हें संक्षिप्तता के कारण पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। **शंकर लाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य[2]** मामले में भी मेरे द्वारा यही दृष्टिकोण अपनाया गया था।

10. प्रतिवादीगण द्वारा यथासंशोधित, 1989 के नियमों के नियम 13(2)(ii) पर आश्रय करना पूरी तरह से अप्रासंगिक है। यह नियम प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार किए बिना मनमाने ढंग से अस्वीकृति की अनुमति नहीं देता है। धारा 323 (साधारण चोट), 435 (आग अथवा विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत, जिससे एक सौ रुपये तक (कृषि

1राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर - एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15957/2021
2राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर - एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 756/2022, 18.11.2024 को निर्णीत

उपज के मामले में) की क्षति पहुँचाने का आशय) और धारा 34 (सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत आरोप जघन्य या गंभीर अपराध नहीं हैं। वे नैतिक अधमता या कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे का संकेत नहीं देते हैं। किसी भी मामले में याचिकाकर्ता सभी आरोपों से दोषमुक्त हो गया है। एक दोषमुक्त व्यक्ति को अतीत में आपराधिक मुकदमे का हिस्सा होने के लिए कलंकित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, एक आरोपी जिसे दोषमुक्त कर दिया गया हो, को रोजगार का अवसर देने से इनकार करना, ऐसे व्यक्तियों को समाज में पुनः एकीकृत ~~करने के सिद्धांत के खिलाफ है~~। इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि किस आधार पर प्रतिवादीगण यह दलील दे रहे हैं कि याचिकाकर्ता दोषमुक्त होने के किसी भी लाभ का हकदार नहीं है।

11. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। दिनांक 02.04.2018 का आदेश (अनुलग्नक 7) निरस्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर उसकी योग्यता के अनुसार विचार करें, जिसके अनुसार उसे कांस्टेबल चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए जिला भी आवंटित किया गया था, तथापि, कार्यभार ग्रहण करते समय उसे केवल इस आधार पर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई कि यद्यपि उसे दोषमुक्त कर दिया गया था, परन्तु चूँकि दोषमुक्ति संदेह के लाभ के आधार पर थी, इसलिए वह अयोग्य था।

12. हालाँकि, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गंभीरतापूर्वक तर्क दिया कि जिस पद पर याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करना था, वह आज की तिथि में रिक्त है, लेकिन न्यायालय के प्रश्न पर, प्रतिवादी के वकील यह बताने में असमर्थ रहे कि वह पद रिक्त है या नहीं। उनका तर्क था कि वर्ष 2016 में जारी किए गए उक्त विज्ञापन के बाद, विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से भी चयन प्रक्रियाएँ की गई थीं और पूरी संभावना है कि उक्त पद को बाद के विज्ञापनों में शामिल किया गया था और नए चयन के माध्यम से उसका उपयोग किया गया है।

13. ऐसा होने पर, प्रतिवादीगण को निर्देश जारी किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिस्पर्धा की गई श्रेणी में एक पद की रिक्ति का पता लगाने के अधीन, इस आदेश की वेब-प्रति के साथ उनसे संपर्क करने पर, उसे 30 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

14. यदि कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, तो याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर अगले उपलब्ध पद पर विचार किया जाएगा और यदि यह पाया जाता है कि जब अगला पद उपलब्ध होगा तो याचिकाकर्ता अधिक आयु का हो गया है, तो उसे उसकी आयु के आधार पर छूट दी जाएगी, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद, वह वर्ष 2018 से सेवा से बाहर है, जबकि उसके समकक्षों को नियुक्ति दी गई थी।

15. अंत में मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि याचिकाकर्ता के सेवा से बाहर रहने की अवधि के दौरान वह कोई वित्तीय लाभ पाने का हकदार नहीं होगा तथा उसकी वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से मानी जाएगी।

16. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा निर्देश पारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि याचिकाकर्ता पात्रता और/या योग्यता के आधार पर अन्यथा योग्य नहीं पाया जाता है, तब भी उसे नियुक्ति दी जाएगी।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), जे

34-एसकेएम/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate